राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

छोटूराम बनाम गोविन्दराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/2025	~~पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील~~ लिखित बहस को ही उनकी मौखिक बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/12/2025 को पेश हो।	
29/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये अन्तरिम आदेश दिनांक 16/08/2013 पारित करते हुए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 34 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03/04/2014 पारित करते हुये पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16/08/2013 को ता-फैसला मूल वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अपीलार्थी की लिखित बहस एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि मूल प्रकरण सहखातेदारान के मध्य विभाजन का है, ऐसेमें विभाजन से पूर्व यदि प्रश्नगत भूमि के मौके/रिकार्ड एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है कि प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगीयां उत्पन्न होकर वाद बहुलता बढना सम्भव है, जिसे रोका जाना न्यायोचित्त समझा जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से जो प्रतिबन्धित किये जाने जाने के आदेश प्रदान किये गये है वह उचित प्रतीत होते है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03/04/2014 न्यायोचित्त प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	